बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांकः– प. 24 / बा.शि.फा. / आपकी बेटी / 2015 / 1161 जयपुर, दिनांक :– 08/12/2020

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (मुख्यालय) / प्रारम्भिक (मु०)
समस्त।

विषयः–"आपकी बेटी योजना" के प्रस्ताव दिनांक **31.12.2020** तक भिजवाने के क्रम में।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय के पत्रांक प. 24 / बा.शि.फा. / आपकी बेटी / 2015 / 1083–1148 जयपुर, दिनांक :–23.10.2020 के सन्दर्भ में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि साधन विहीन बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, राजकीय विधालयों में नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने एवं साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उदेश्य से **'आपकी बेटी योजना'** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पत्र 1(18) / शिक्षा–1 / प्राशि / 2004 जयपुर दिनांक 22.02.2005 के द्वारा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है। योजनार्न्तगत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प 01(18) / प्राशि / आयो / 2019 / दिनांक 31.05.2019 के अनुसार सत्र 2019–20 से राजकीय विधालययों मे अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को 2100 रूपये तथा 9 से 12 बालिका को 2500 रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

आपकी बेटी योजना के तहत बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के द्वारा वर्ष 2019–20 सें कक्षा–1 से 12 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत **गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाएँ, जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, तो ऐसी बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।**

अतः सत्र 2020–21 के लिए आपकी बेटी योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं की सूची दिनांक 30.11.2020 तक सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015 को सूची, हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी अविलम्ब ई–मेल <u>balikasf@gmail.com</u> पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु यह खेद का विषय है कि आप द्वारा उक्त योजना का प्रभावी कियान्वन नही किया जा रहा है आदिनांक तक अधिकांश जिलों की सूचना इस कार्यालय को अप्राप्त है। अतः दिनांक 31.12.2020 तक निम्न प्रारूप में वाहक के साथ सूचना भिजवाना सुनिश्चित करे। उक्त अन्तिम तिथि तक सूची न भिजवाये जाने पर आपकी जिले की सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी जायेगी जिसका समस्त दायित्व आप स्वंय का होगा।

क्र. सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	कक्षा	बी.पी. एल. नम्बर	माता / पिता किसका निधन हुआ	बैंक खाता संख्या	IFS कोड	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट :– उक्त सूची अग्रेजी में टाईप कर भिजवानी है। हिन्दी में भेंजी गई सूची स्वीकार नही की जायेगी।

उपरोक्त प्रारूप में कक्षा 1 सें 8 एवं कक्षा 9 से 12 की सूची अलग–अलग तैयार कर भेजनी है ध्यान रहें कि सूची में सभी कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से कि जावे तथा निजी विधालयो की बालिकाओं को उक्त योजना में सम्मिलित नही किया जावे सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार योजना की राशि बालिकाओं के बैक खातों में स्थानान्तरित की जावेगी अतः बैक का विवरण आवश्यक रूप से जॉच करके ही भेजा जावे, गलत खातें के विवरण की वजह से यदि बालिका के खातें में राशि स्थानान्तरित नही हो पायेगी तो इस का सम्पूर्ण उतरदायित्व आप स्वंय का होगा।

संलग्नः– आवेदन पत्र।

3/12/20

(महेश कुमार)
सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :–

1 निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ।
2 रक्षित कार्यालय प्रति।

08/12/20

(तेजपाल मूण्ड)
उपसचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.)
302015

आपकी बेटी योजना
आवेदन–पत्र सत्र 2020–21

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाएं, जिनके माता– पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं के लिए।

1	छात्रा का नाम	
2	पिता का नाम	
3	माता का नाम	
4	राजकीय विद्यालय का नाम	
5	कक्षा	
6	जन्मतिथि	
7	घर का पता	
8	बी.पी.एल. कार्ड नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
9	माता या पिता अथवा दोनों के निधन का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें,	
10	अनु. जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / सामान्य	
11	बैंक का नाम एवं शाखा	
12	खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. कोड	

छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

<u>जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी .... जो कि कक्षा .... में अध्ययनरत है उक्त छात्रा आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने की पात्रता रखती है। अतः छात्रा को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अभिशंषा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
मय मोहर